प्रेस नोट दिनाँक-15.07.2022

(1). दिनाँक-14.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया।

(2). आज दिनांक 15.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइऩ, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को।जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(3). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर श्री गिरेन्द्र कुमार सिंह तथा उनके हमराही आरक्षी पंकज कुमार सिंह द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-79/2022 धारा 376,506 भादवि0 व 4 पास्को एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट का वांछित अभियुक्त रोशन पटेल पुत्र द्वारिका पटेल निवासी रामपुर कल्याणगढ़ कोतवाली मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर श्री गिरेन्द्र कुमार सिंह
2. आरक्षी पंकज सिंह परिहार

(4). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी श्री अशोक कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 धारा 302 भादवि0 के नामजद वाँछित अभियुक्त राहुल शुक्ला पुत्र फूलचन्द्र निवासी खोर थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी श्री अशोक कुमार सिंह
2. आरक्षी रंजीत

3. आरक्षी अमित कुमार

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों को 20 क्वार्टर देशी शराब तथा 15 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(i). प्रभारी निरीक्षक थाना बरगढ़ श्री शिवमूरत यादव के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय तथा उनके हमराही आरक्षी द्वारा वहद ग्राम जमीरा कॉलोनी से अभियुक्त कृष्णप्रताप सिंह पुत्र पुरूषोत्तम सिंह निवासी जमीरा कॉलोनी मजरा कोनिया थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 20 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना बरगढ़ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

20 अदद क्वार्टर देशी शराब

बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय थाना बरगढ़

2. आरक्षी शिवम मिश्रा

(ii). प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ श्री राजीव कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री विजय बहादु यादव तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त मुकेश पुत्र शिवशरण निवासी ग्राम महुलिया मजरा इटवा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 15 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री विजय बहादुर यादव थाना मऊ

2. आरक्षी मो0अदनान

3. आरक्षी इंदल कुमार

(6). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में प्रभारी निरीक्षक महिला थाना श्रीमती रीता सिंह तथा उनकी टीम द्वारा पति पत्नी के आपसी झगड़े को समाप्त कराकर दम्पति जोडे में सुलह कराते हुये शादी के अटूट बन्धन को टूटने से बचाया।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती अनीता पुत्री चन्द्रभान निवासी सपहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके पति सोनू पत्नी गयाप्रसाद उसके साथ लड़ाई झगड़ा व मारपीट करते है एवं घर पर नही रखते है। प्रभारी निरीक्षक महिला थाना एवं टीम द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर, उनके पति से सम्पर्क करके उन्हें महिला थाना बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। महिला के पति द्वारा भविष्य में अपनी- अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा न करने तथा पति के कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। पति पत्नी में आपसी सुलह होने पर प्रभारी महिला थाना द्वारा दोनों को साथ-

साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं पति-पत्नी के कर्तव्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी तथा यह भी कहा गया कि आपस में तारतम्यता बनाकर कर रहें।

समझौता करवाने वाली टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक महिला थाना श्रीमती रीता सिंह
2. आरक्षी नीतू द्विवेदी
3. महिला आरक्षी रीता यादव